न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 08/2014

अपीलान्ट

मृतक शेषा पुत्र तुलछा जाति कलाल निवासी सारंगवास के का0मु0
1 गंगादेवी बेवा शेषा
2 हरिराम पुत्र शेषा
3 मृतक पन्नालाल पुत्र शेषा के का0मु0
3/1 विद्यादेवी बेवा पन्नालाल
3/2 वनिता पुत्री पन्नालाल
4 धर्मेन्द्र पुत्र शेषा
5 जगदीश पुत्र शेषा जातिगण कलाल निवासीगण सारंगवास
6 कमला पुत्री शेषा पत्नि मदनलाल जाति कलाल निवासी बेरा अमरतिया, सारंगवास
7 संतोष पुत्री शेषा पत्नि कालूराम जाति कलाल निवासी बेरा अमरतिया सारंगवास तहसील सोजत

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. पुकली बेवा दीपा
2. प्रहलाद पुत्र दीपा
3. बाबूलाल पुत्र शेषा जातिगण कलाल निवासीगण सारंगवास
4. दिव्या पुत्र पन्नालाल पत्नि ओमप्रकाश पुत्र गणपतजी जाति कलाल निवासी राणावास तहसील मारवाड जंक्शन
5. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सोजत

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री रामलाल भाटी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री सरदारसिंह बारहठ, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2
श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार,

–: निर्णय :–

दिनांक : 05/9/2017

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम सारंगवास तहसील सोजत के नामान्तरकरण संख्या 110 पर नायब तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 02.03.1994 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सारंगवास के खसरा नम्बर 357 रकबा 0.4700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358 रकबा 0.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 360 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 361 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 362 रकबा 0.5800, खसरा नम्बर 408 रकबा 2.4300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 429 रकबा 0.9600 हैक्टेयर कुल खसरा 7 जिसका कुल रकबा 5.5700 हैक्टेयर की भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम 3/4 व अपीलाण्ट शेषा व शेषा के भाई सुखा के नाम

अति. जिला कलेक्टर, पाली

1/3 हिस्सा दर्ज था। नायब तहसीलदार सोजत द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण के जरिये अपीलाण्ट शेषा व शेषा के भाई सुखा का नाम विलोपित करते हुए पुकली बेवा दीपा 1/2 व प्रहलाद पुत्र दीपा 1/2 दर्ज कर दिया गया, जो विधि विरूद्ध है। राजस्व वाद संख्या 60/86 निर्णय दिनांक 15.07.1993 व इससे सम्बन्धित डिक्री से यह स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा इस प्रकार का कोई आदेश पारित ही नही किया। इसके बावजूद पटवारी हल्का द्वारा रेस्पोडेन्ट को विधि विरूद्ध लाभ पहुँचाने की नियत से जैर अपील नामान्तरकरण दायर किया, जिसे नायब तहसीलदार सोजत द्वारा बिना कोई जांच किये, स्वीकृत किया। उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध स्वीकृत होने से खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील नामानतरकरण पर नायब तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश अपास्त करावे। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक सिद्धान्त आर0आर0डी0 1994 पेज 215, आर0आर0डी0 1990 पेज 477, आर0आर0डी0 1990 पेज 479, आर0आर0डी0 1992 पेज 21, आर0आर0डी0 1992 पेज 17, आर0आर0डी0 1992 पेज 117, आर0आर0डी0 1998 पेज 319 की प्रतियां प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट शेषा द्वारा उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष एक वाद प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होने उक्त भूमि दीपा की मानी है। उक्त भूमि पर शेषा व उनके वारिशान का कभी कोई कब्जा काश्त आदि नही माना है। इसके पश्चात ही नामान्तरकरण दायर किया है। उक्त नामान्तरकरण की शेषा को बखूबी जानकारी होने के बावजूद भी शेषा द्वारा अपने जीवनकाल में कभी अपील दायर नही करवाई है। इसके पश्चात शेषा के पुत्र द्वारा नामान्तरकरण दायर करने के 20 वर्ष पश्चात अपील दायर करवाई है। शेषा के वारिशान द्वारा उपखण्ड अधिकारी सोजत के न्यायालय में एक वाद दायर किया है, जो विचाराधीन है। अपीलाण्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होने के बावजूद भी 17 माह 2 दिन के पश्चात अपील प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने का कोई न्यायोचित कारण दर्शित नही किया है, जिसके कारण विशुद्ध रूप से यह अपील मयाद बाहर होने के कारण सुनवाई योग्य नही है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी कानूनी प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत नही किया है। उकत प्रार्थना पत्र में जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी का कोई तथ्य अंकित नही किया है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, वह मात्र हरिराम द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अन्य किसी अपीलाण्ट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया है। अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की कोई अनुमति भी न्यायालय द्वारा नही ली गई है। अपीलाण्ट द्वारा नामान्तरकरण अपील के द्वारा अपीलाण्ट अपने हक अधिकार तय करवाना चाहते है, जो अपील के क्षैत्राधिकार में नही है, यह नियमित वाद में ही अधिकारों की घोषणा हो सकती है। जैर अपील नामान्तरकरण में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में नियमित वाद विचाराधीन है, तब तक अपील में निर्णय नही किया जा सकता है तथा न ही नामान्तरकरण के जरिये अधिकारों का निर्धारण किया जा सकता है। अतः अपील म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0डी0 1994 पेज 276, आर0आर0डी0 2014 (1) पेज 248, आर0आर0डी0 1989 पेज 500, आर0आर0डी0 1970 पेज 542, आर0एल0डब्ल्यु0 1951 पेज 303, आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 939, आर0आर0टी0 2007 (1) पेज 18, आर0आर0डी0 1984 पेज 261,

आर0आर0डी0 1965 पेज 349, आर0आर0डी0 1978 पेज 18 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण के जरिये अपीलाण्ट का नाम विलोपित कर दिया गया, जो बिना किसी आदेश के किया गया है। विभिन्न निर्णयों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जो निर्णय विधि विरूद्ध रूप से पारित किया गया हो, उसकी अपील के लिये मयाद के बिन्दु पर गौर न किया जाकर अपील को मेरीट पर निर्णित किया जाना चाहिये। जैर अपील नामान्तरकरण की भूमि पर आज भी अपीलाण्ट अपने हिस्से पर काबिज है। पूर्व में अपीलाण्ट के पिता द्वारा न्यायालय में चाराजोही की जाती थी, उनके देहान्त के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा दस्तावेजो की जांच करने पर उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुई, तब नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट को नामान्तरकरण की नकल प्राप्त होने के पश्चात परिसीमित समय में अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील नामान्तरकरण पर नायब तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश अपास्त करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा अपने शपथ पत्र में यह अंकित किया कि अपीलाण्ट हरिराम को नामान्तरकरण संख्या 110 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07.12.2013 को अपीलाधीन कृषि भूमि की जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर हुई। इसके पश्चात अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 10.12.2013 को नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त कर दिनांक 09.01.2014 को अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील को अन्दर म्याद को शुमार करवाने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलाण्ट को उक्त नामान्तरकरण की बखूबी जानकारी थी, क्योंकि वह उपखण्ड अधिकारी सोजत में विचाराधीन वाद में पक्षकार है। इसके बावजूद भी अपीलाण्ट द्वारा देरीना अपील प्रस्तुत की है, जो म्याद बाहर है। आर0एल0डब्ल्यु 1951 पेज 303 नौरतनमल बनाम हरिसिह में प्रतिपादित किया कि "Limitation Act. S. 5-- Delay in filing appeal--Each day's delay after due date must be satisfactorily explained. It is the duty of an applicant, praying for indulgence under s 5 to explain each day's delay satisfactorily and if he fail to do so he cannot get the benefit of s. 5" इसी प्रकार आर0आर0डी0 1970 पेज 542 आर्य समाज शिक्षण संस्था, अजमेर बनाम श्री आदित्य नारायण में प्रतिपादित किया कि "Each day's delay from expiry of limitation held, not explained in compliance of provision of Sec. 5 - Collector acted illegally and with material irregularity in condoning delay on unwarranted and unjustified grounds--Discretion to condone delay to be exercised judicially -- Sufficient reason explaining each day's delay must exist before exercise of such a discretion" आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 939 डी0 गोपीनाथ पिल्लई बनाम स्टेट ऑफ केरल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा –विलम्ब का उपशमन– अपील पेश करने में 3320 दिन का असाधारण विलम्ब– उचित रूप से एवं सन्तोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट नही किया – सहानुभूति आधारों पर न्यायालय विलम्ब उपशमन नही कर सकता – असाधारण विलम्ब उपशमन हेतु कारण नही दिये गये – निर्णीत, आदेश संहवनीय नही है व अपास्त किया।" इसी प्रकार आर0आर0टी0 2007 (1) पेज 18 सत्तार खान व अन्य बनाम ब्रजलाल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधिनियम 1963 – विलम्ब का माफ करना – राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील पेश करने में 23 वर्ष का अप्रत्याशित विलम्ब – रेस्पोडेन्ट 'बी' पंचायत का प्रधान था और आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य था – आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष उसने आपत्ति नही उठायी – आवेदन में बताये कारण न्यायसंगत नही कहे जा सकते – निर्णीत परिसीमा के बिन्दु पर ही अपील खारिज होने योग्य थी।" इसी प्रकार के तथ्य आर0आर0डी0 1984 पेज 261 अमराराम बनाम बृजलाल में भी प्रतिपादित किये गये है। इसके अतिरिक्त विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने यह कथन किये कि यदि जैर अपील नामान्तरकरण पर पारित आदेश अवैध भी हो, तो भी इस पर परिसीमा अधिनियम लागू होता है, इन कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1989 पेज 500 संतसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त का सहारा लिया। इसी प्रकार विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त आर0आर0डी0 1990 पेज 477 रतना बनाम देव चन्द में प्रतिपादित किया कि "Indian Limitation Act, Section 5 -- First Appeal by a person who was not a party in the trail court claiming limitation from the date of knowledge -- No assertion to the contrary by resps -- Limitation will count from the date of knowledge -- Application u/s 5, not necessary -- No question of delay being explained." इसी प्रकार आर0आर0डी0 1990 पेज 479 गोवर्धनसिंह बनाम खेतीया में प्रतिपादित किया कि "Indian Limitation Act, Section 5 Appellant claiming limitation from the date of knowledge and filing affidavit about date of knowledge -- In absence of any notice and counter affidavit of apposite party, there is no reason to disbelieve sworn testimony of appellant."इसके अतिरिक्त विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने यह कथन किया कि किसी भी अवैध आदेश को चुनौती देने में परिसीमा अधिनियम बाधित नही करती है। इन कथनों के समर्थन में आर0अर0डी0 1992 पेज 17 राम कुमार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, आर0आर0डी0 1994 पेज 215 सरोज देवी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान तथा आर0आर0डी0 1992 पेज 21 आदूराम व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया, जिसमें समग्र रूप से यह व्यवस्था प्रदान की गई है कि Impugned order, illegal and nonest- Such an order can be challenged at any time. तथा इस प्रकार के आदेश को किसी भी समय खारिज किया जा सकता है एवं इस प्रकार के प्रकरणों में परिसीमा अधिनियम बाधित नही है।

समस्त तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन एवं अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि प्रकरण में जिस नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत की गई है, वह नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय/डिक्री की पालना में तहरीर करना अंकित किया है, जबकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें रेकर्ड में परिवर्तन किया जावे, ऐसा कोई आदेश ही पारित नही किया। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है तथा इस प्रकार के नामान्तरकरण को खारिज करने हेतु परिसीमा अधिनियम किसी प्रकार से बाधित नही है। जहां तक प्रश्न नियमित वाद विचाराधीन होने का है, तो यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है कि नामान्तरकरण एक समरी प्रोसिडिंग है, जिससे अधिकारों का निर्धारण नही किया जा सकता है, किन्तु इसी आड मे किसी विधि विरूद्ध आदेश को कायम रखा जाना भी कतई न्यायोचित नही है। अतः उपरोकत विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

ग्राम सारंगवास का नामान्तरकरण संख्या 110 का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि उक्त नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 7 के अनुसार उक्त भूमि पूर्व में मु0 पुकील बेवा दीपा 3/4, सुखा, सेसा पि0 तुलछा 1/4 कोम कलाल सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज थी। नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 14 में अंकित टिप्पणी अनुसार श्रीमान तहसीलदार सा. सोजत के आदेश क्रमांक/राज./94/209 दिनांक 03.02.1994 व एस.डी.ओ. सा. सोजत के डिक्री पर्चा रा0वा0 60/86 दिनांक 15.7.93 द्वारा खसरा नम्बर 357, 358, 360, 361, 362, 408, 429 पर फैसले से नामान्तरकरण भरा गया एवं उक्त नामान्तरकरण में जो नवीन इन्द्राज किये गये, वे मु0 पुकली बेवा दीपा 1/2, प्रहलाद पुत्र दीपा 1/2 कौम कलाल सा0 देह खातेदार का नाम दर्ज किया गया। इस नामान्तरकरण को नायब तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत किया गया। उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 60/1986 में पारित निर्णय दिनांक 15.07.1993 के अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि सभी तनकीयात वादी के विपक्ष में तय हुई है, तद्नुसार वादी को ग्राम सारंगवास के वाद में वर्णित भूमि के सम्बन्ध मं खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते एवं न ही वादी इस भूमि का बंटवाडा करा स्थाई निषेधाज्ञा पा सकता है। अतः वाद खारिज किया जाता है। चूकि वाद में किसी प्रकार की घोषणा अथवा ऐसा कोई आदेश पारित नही किया गया है, जिसकी पालना में राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन किया जावे, किन्तु इस निर्णय के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण दायर किया गया एवं नायब तहसीलदार सोजत द्वारा भी बिना रेकर्ड का परीक्षण किये उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत किया गया, जबकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित ही नही किया, जिसके आधार पर राजसव रेकर्ड में किसी प्रकार का रद्दोबदल किया जावे। इस प्रकार जैर निगरानी नामान्तरकरण पूर्णतः विधि विरूद्ध रूप से दायर किया जाकर स्वीकृत किया गया है, जिसे किसी भी रूप में कायम रखा जाना न्यायोचित नही है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार की जाती है तथा ग्राम सारंगवास के नामान्तरकरण संख्या 110 पर नायब तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 02.03.1994 को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 05/9/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली